

दिनांक 19-10-22 को पेश  
करे।

उपखण्ड  
नीमराना

19-10-22

आज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलवायी गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम हाजरी एवं अदम पेश्वी बखूबी साबित होती है। अतः यह वाद/प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पेश्वी के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फिला लेख मण्डार अलवर जमा करवाई जायें।

स/

उपखण्ड अधिकारी  
नीमराना (अलवर)

